भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 186
जिसका उत्तर मंगलवार 11 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

विद्युतचालित वाहन

186. श्री आर. गोपालकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत चालित कारों/वाहनों के लिए क्रेताओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन को बंद कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो देश में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इन क्रेताओं को प्रदान किए जा रहे नकद और गैर-नकद प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, नहीं। सरकार केवल उन्नत रसायन बैटरी वाले पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देती है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के खरीददारों को एक्सईवी की खरीदारी के समय डीलरों द्वारा एक निश्चित छूट प्रदान की जाती है। एक्सईवी की खरीददारी हेतु उपलब्ध मांग प्रोत्साहन का समय-समय पर यथासंशोधित विवरण इस योजना की राजपत्र अधिसूचना और के अनुबंध 13 पर उपलब्ध है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। ई-बसों के लिए ₹1 करोड़ प्रति बस तक नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत, परंपरागत वाहनों पर 22% उपकर सहित 28% जीएसटी के बजाए इलेक्ट्रिक वाहनों को (बिना उपकर के) 12% जीएसटी दर की निम्न श्रेणी में रखा गया है।

****